

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-3/नि0स0-25/2025-

/स्वा0, पटना, दिनांक

डा0 मिथिलेश्वर कुमार, क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ द्वारा अपने ईलाज के निमित्त दिनांक 09 01 2025 से 07 02 2025 तक उपभोगित अवकाश को बिहार सेवा संहिता के नियम-234 में वर्णित प्रावधान एवं महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना के ज्ञापाक **LR: 050320251001358** के आलोक में कुल-60 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश के बदले 30 दिनों का रूपान्तरित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है ।

02 प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह0/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापाक

312(3)

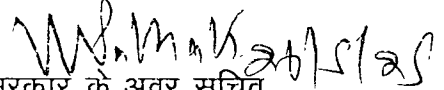
/स्वा0, पटना, दिनांक 27/5/25

प्रतिलिपि महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्णियाँ/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि डा0 मिथिलेश्वर कुमार, क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि विभागीय प्रशाखा-2, 9, 17 एवं 18ए को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के अवर सचिव